

कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज के स्वीकृत आदेश दिनांकित 05.08.2024 के अनुपालन में जनपद न्यायालय कासगंज के 18 न्यायालय भवन परिसर में शीतल एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु स्थापित 05 नग वॉटर कूलर के सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में इच्छुक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म / डीलर से दिनांक 20.08.2024 को समय सांय 04:00 बजे तक नियत कर उद्घोषणा दिनांक 05.08.2024 अधोहस्ताक्षरि द्वारा निर्गत की गयी। केन्द्रीय नाजिर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 20.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि नियत दिनांक तक उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में कोई कोटेशन प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में पुनः अग्रिम तिथि निर्धारित कर कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

अतः इच्छुक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म / डीलर उपरोक्त आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य के बावत वॉटर कूलर का निरीक्षण कर कोटेशन कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज में दिनांक 05.09.2024 को समय सांय 04:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।

- 01- कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत में दिनांक 05.09.2024 तक (कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।
 - 02- कोटेशन दिनांक 05.09.2024 को सांयकाल 04:30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेंगे।
 - 03- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
 - 04- किसी भी कोटेशन को बिना कारण स्पष्ट किये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
 - 05- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
 - 06- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
 - 07- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
 - 08- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- दिनांक- .08.2024


(अनुतोष कुमार शर्मा),
अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No. 562/19-2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 02- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 03- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 04- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- 21.08.2024


(अनुतोष कुमार शर्मा),
अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01
कासगंज।

seen. System Officer to comply.

22.08.2024
Nodal Officer (Computer)
District Court Kaseganj
22.08.2024